

सारण समाहरणालय, छपरा
(जिला शस्त्र शाखा)

आदेश

संचिका संख्या-36-183/2016 के टिप्पणी पृष्ठ सं0-10 पर संसूचित आदेश दिनांक 11.05.2018 से निम्नांकित मृत शस्त्रधारियों का मूल अनुज्ञप्ति रद्द करने एवं शस्त्रधारक द्वारा स्वयं शस्त्र बिक्री कर मूल अनुज्ञप्ति रद्द करने हेतु अनुरोध किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र0	अनुज्ञप्तिधारी का नाम एवं पता	अनुज्ञप्ति की सं0	शस्त्र का प्रकार/ सं0	शस्त्र जामा एवं रद्द करने का कारण	सूचना किसके द्वारा प्राप्त हुआ
1	2	3	4	5	6
1	शिव शंकर सिंह पिता-राम चन्द्र सिंह ग्राम-भगवानपुर थाना-परसा, जिला-सारण	81/64 परसा	बन्दुक सं0-3039	मृत	दुकानदार एस0एच0 मल्लिक एण्ड को0, छपरा द्वारा।
2	अनन्त कुमार सिंह पिता-भरत सिंह ग्राम+पो0-उमधा फकुली छपरा मुफसिल	OD No-07/13 छपरा मुफसिल	राईफल सं0-0842-1745 3	मृत	दुकानदार सुन्दरम आर्म्स कारपोरेशन, छपरा द्वारा।
3	चन्द्रकान्त सिंह पिता-अवधेश सिंह ग्राम-सरेया हस्दी टोला, बनियापुर	299/08 बनियापुर	दोनाली बन्दुक A/4-13419-06	मृत	दुकानदार एस0एच0 मल्लिक एण्ड को0 छपरा द्वारा।
4	हरेन्द्र किशोर सिंह पिता-राम देव सिंह ग्राम+पो0+थाना-मशरक, सारण	115/75 116/75 मशरक	राईफल F-141587 रिबाल्वर B-367594	मृत	दुकानदार एच0एस0 मल्लिक एण्ड को0 छपरा द्वारा।
5	विन्दा प्रसाद सिंह पिता-स्व0 राम चरित्र सिंह ग्राम-जगदीशपुर थाना-दरियापुर सारण	OD No-171/95 दरियापुर	दोनाली बन्दुक सं-7504694	मृत	दुकानदार सुन्दरम आर्म्स कारपोरेशन, छपरा द्वारा।
6	अफजल आज पिता-श्री गफुर खॉ सा0-गोदना थाना-रिविलगंज, सारण	OD No-07/95 रिविलगंज	दोनाली बन्दुक 48876	मृत	दुकानदार एस0एच0 मल्लिक एण्ड को0 छपरा द्वारा।
7	राज किशोर सिंह पिता-बासुदेव सिंह ग्राम-सिकटी विक्रम, मशरक	48/93 मशरक	दोनाली बन्दुक 7400328	मृत	दुकानदार एस0एच0 मल्लिक एण्ड को0 छपरा द्वारा।
8	ध्रुव नारायण सिंह पिता-स्व0 रामाशिष सिंह ग्राम+पो0-रेवाड़ी थाना-कोपा	175/91 कोपा	राईफल AB-955622	मृत	सुन्दरम आर्म्स कारपोरेशन, छपरा द्वारा।
9	अंशु कुमार सिंह पिता-इन्द्र प्रताप सिंह ग्राम-नेवाजी टोला थाना-छपरा मुफसिल	(1) 20/2016 (2) 20/2001 छपरा मुफसिल	रिबाल्वर FG-11893 राईफल AB06-05118	मृत	अकास गन हाउस, छपरा द्वारा।
10	ज्योति ओझा पिता-ललन ओझा ग्राम-खानपुर थाना-मांझी	OD No-273/95 मांझी	SBBL-4492 D/6 Y-79	मृत	आवेदक के पुत्र द्वारा लिखित सूचित किया गया है। रद्द करने हेतु
11	ब्रजेन्द्र कुमार सिंह पिता-स्व0 योगेन्द्र सिंह मु0-पुरानी गुरहटी, छपरा नगर	(1) OD No-29/95 (2) OD No-28/95 (3) OD No-200/94 छपरा नगर	(1) राईफल AB04-3050 (2) रिबाल्वर B-77398 (3) दोनाली बन्दुक 54082	मृत	में प्रताप गन हाउस, छपरा द्वारा सूचित किया गया है।
12	शमशाद आलम पिता-जफरुल हक मु0-भगवान बाजार, थाना-भगवान बाजार	84/74 भगवान बाजार	दोनाली बन्दुक M-6700	मृत	मे0 भेराईटी गन हाउस, छपरा द्वारा।

४

13	रघुबर सिंह पिता-स्व० बासुदेव सिंह ग्राम-चन्दउपुर पो०-चेफुल थाना-दाउदपुर	OD No-147/96 दाउदपुर	एकनाली बन्दुक 53495	स्वयं	मे० सिंह शस्त्रागार में बेचने के वाद रद्द करने हेतु अनुरोध किया गया है।
14	मो० हमिद पिता-मो० अमीन मु०-साहेब गंज थाना-छपरा नगर	65/68 छपरा नगर	दोनाली बन्दुक 53495	स्वयं	मे० प्रताप गन हाउस, छपरा को बेचने के वाद रद्द करने हेतु अनुरोध किया गया है।
15	मो० खलील पिता-स्व० अब्दुल सत्तार ग्राम-महुली थाना-तरैया	39/79 तरैया	दोनाली बन्दुक सं०-12358	स्वयं	मे० भेराईटी गन हाउस, छपरा में शस्त्र बेचने के वाद मूल अनुज्ञप्ति रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

अतः अनुज्ञप्तिधारियों के मृत्यु हो जाने के कारण एवं स्वयं शस्त्र बिक्री कर मूल अनुज्ञप्ति को रद्द करने के अनुरोध पर आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (4) के तहत क्रमांक-1 से 15 तक शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द किया जाता है।

४०-

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक.....163...../शस्त्र, दिनांक.....23/5/18.....


प्रतिलिपि:-पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-संबंधित थानाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सभी जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि बिहार के सभी जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक के वेबसाईट पर प्रसारित करना सुनिश्चित करेंगे।


जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

(3)

nic